रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2903] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2013/पौष 6, 1935
No. 2903] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSHA 6, 1935

IndiaCode

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3822(अ).—केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधाराओं (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30 अप्रैल, 2003 के आदेश सं. का.आ. 489(अ) में एतद्द्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामशः :—

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, "दस वर्ष और आठ माह की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "बारह वर्ष और आठ माह की अवधि के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. जेड-20018/1/99-सीपीए]
सुशील कुमार, अपर सचिव

टिप्पणीः मूल आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 30 अप्रैल, 2003 के आदेश संख्या का.आ. 489(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में दिनांक 14 जनवरी, 2005 के आदेश संख्या का.आ. 56(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2007 के आदेश संख्या का.आ. 253(अ) दिनांक 24 जून, 2008 के आदेश संख्या का.आ. 1539(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 के आदेश संख्या का.आ. 3303(अ) तथा दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 के आदेश संख्या का.आ. 2866(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3822(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003, namely :—

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of ten years and eight months" the words "for a period of twelve years and eight months" shall be substituted.

[F. No. Z-20018/1/99-CPA]

SUSHEEL KUMAR, Addl. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003 and subsequently amended *vide* S.O. 56(E), dated the 14th January, 2005, S.O. 253 (E), dated the 19th February, 2007, S.O. 1539(E), dated the 24th June, 2008, S.O. 3303(E), dated the 29th December, 2009 and S.O. 2866(E), dated the 27th December, 2011.

5429 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.